



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 3396 /अका./वि.परि./2011

रायपुर, दिनांक : 26 /04/2011

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की शनिवार, दिनांक 23.04.2011 को अपरान्ह 2:30 बजे सर सी.व्ही. रमन हॉल, विज्ञान भवन, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में बैठक सम्पन्न हुई -

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2	डॉ. शैलेन्द्र सराफ	-	सदस्य
3	डॉ. आर.पी. दास	-	सदस्य
4	डॉ. (श्रीमती) रीता वेणु गोपाल	-	सदस्य
5	डॉ. एस.के. सिंह	-	सदस्य
6	डॉ. (श्रीमती) ज्योति रवि तिवारी	-	सदस्य
7	डॉ. के.एल. वर्मा	-	सदस्य
8	डॉ. ए.के. पति	-	सदस्य
9	डॉ. अब्दुल अलीम खान	-	सदस्य
10	डॉ. (श्रीमती) कीर्ति तिवारी	-	सदस्य
11	डॉ. (श्रीमती) सुषमा तिवारी	-	सदस्य
12	डॉ. बी. कामेश्वर राव	-	सचिव
13	डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता	-	सदस्य
14	डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल	-	सदस्य
15	डॉ. एल.एस. निगम	-	सदस्य
16	डॉ. आर. प्रसाद	-	सदस्य
17	डॉ. जे.एल. सोनभद्र	-	सचिव
18	डॉ. (श्रीमती) प्रोमिला सिंह	-	सदस्य
19	डॉ. (श्रीमती) जकिया तसनीम खान	-	सचिव
20	डॉ. ओ.पी. वर्मा	-	सदस्य
21	डॉ. आर.सी. अग्रवाल	-	सदस्य
22	डॉ. (श्रीमती) रमा पांडेय	-	सदस्य
23	डॉ. एच.के. पाठक	-	सदस्य
24	डॉ. एम.डब्ल्यू. वाघ. खान	-	सदस्य
25	डॉ. सी.एल. पटेल	-	सदस्य
26	डॉ. एन.के. शर्मा	-	सदस्य
27	डॉ. (श्रीमती) संध्या मदन मोहन	-	सदस्य
28	डॉ. एस.के. जाधव	-	सदस्य
29	डॉ. ए.के. गुप्ता	-	सदस्य
30	डॉ. मिताश्री मित्रा	-	सदस्य

31	डॉ. (श्रीमती) प्रीति तिवारी	—	सदस्य
32	डॉ. व्यास नारायण दुबे	—	सदस्य
33	डॉ. बी.जी. सिंह	—	सदस्य
34	डॉ. के.एस. पटेल	—	सदस्य
35	डॉ. पी.सी. अग्रवाल	—	सदस्य
36	डॉ. बी.के. शर्मा	—	सदस्य
37	डॉ. टी.एल. वर्मा	—	सदस्य
38	डॉ. बी.एस. ठाकुर	—	सदस्य
39	श्रीमती राजवंश कोहली	—	सदस्य
40	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	—	सदस्य

कार्यवृत्त


बैठक में निर्णय लिये गये :-

01. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 28.08.2010 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय : विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 28.08.2010 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।
02. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 12.10.2010, 28.10.2010, 18.11.2010, 22.12.2010, 10.01.2011, 24.02.2011 एवं 21.03.2011 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।
निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 12.10.2010, 28.10.2010, 18.11.2010, 22.12.2010, 10.01.2011, 24.02.2011 एवं 21.03.2011 के कार्यवृत्त को अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 18.04.2011 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।
निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 18.04.2011 के कार्यवृत्त को अनुमोदन के साथ निम्नांकित निर्णय लिया गया कि —
01. पी.एच—डी. प्रवेश परीक्षा के संबंध में जिन लोगों को योग्य पाया है, तथा जिन्हें प्रवेश परीक्षा में छूट दी गई है उनके पंजीयन के संबंध में D.R.C. (विभागीय शोध समिति) द्वारा क्या नीति अपनाई जाएगी, इस संबंध में, प्रस्तावित विनियम को संशोधित रूप में, मान्य किया गया। जुलाई 2009 से अब तक जिन छात्रों का शोध पंजीयन किया गया है, उन्हें कोर्स वर्क पूरा करने के लिये यथाशीघ्र सूचित किया जाय।
02. स्टाफ कौंसिल गठन के लिए प्रस्तुत विनियम को सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

02. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2011-12 से स्नातकोत्तर स्तर में सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली से अध्ययन-अध्यापन प्रारंभ करने के प्रकरण पर विचार करना।
- निर्णय : विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2011-12 से विज्ञान संकाय, पाठ्यक्रम के स्नातकोत्तर कक्षा में सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली से अध्ययन-अध्यापन प्रारंभ किया जाने एवं I तथा III सेमेस्टर की परीक्षा आंतरिक स्तर पर तथा II तथा IV सेमेस्टर की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किये जाने संबंधी प्रस्ताव को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। इसे लागू करने से अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थियों की क्या व्यवस्था होगी, इसका भी आंकलन किया जावे।
03. विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं में नये पाठ्यक्रम लागू करने के संबंध में कुलपति जी ने निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय अध्ययन मण्डल एवं संकायाध्यक्ष, उपलब्ध संशाधनों के अनुसार पाठ्यक्रम का प्रस्ताव दें।



कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 3397 / अका./ वि.परि./ 2011
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 26/04/2011

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय छ.ग. शासन, शास. विज्ञान महा. परिसर, रायपुर।
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर।
3. विद्या परिषद के समस्त सदस्यों को।
4. वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
5. अतिरिक्त संचालक, आवासीय अंकेक्षण, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
6. समस्त विभाग प्रमुख, प्रशासनिक भवन, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)